फर्द अहकाम

न्यायालय SDO II सांगानेर जयपुर

ग्यारसी बनाम चौथमल

मुकदमा संख्या/वर्ष 149/2017 : /20

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	30/4/24	पत्रावली [illegible] पी.ओ0 साहब अन्य [illegible] है। अतः पत्रावली [illegible] 13/5/24 को पेश हो।
	13/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील [illegible] प्रतिवादी सं. 4, 5 व 6 की ओर वकालतनामा पेश करने व प्रति. सं. 1, 3 व 9 की जवाबदावा पेश करने हेतु न्यायालय से अन्तिम अवसर दिया जाता है। पक्षकारों वास्ते पेश करने वकालतनामा व जवाबदावा पेश करने हेतु पक्षकारों दि0 20/5/24 को पेश हो। उप-खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)
	20/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील साहब [illegible] वकील व वादी व [illegible] पत्र की ओर से [illegible] नोट प्रेस के आधार पर वादी का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Not Press
20/5/2024

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:37:11 IST
Reason: SelfAttested

श्रीसत्यनारायण शर्मा एड. ने पेश की और हवाला दिया।

12/9/17

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, द्वितीय जयपुर जिला जयपुर

राजस्व वाद संख्या 149 /2017

श्रीमती ग्यारसीदेवी पत्नि श्री रामगोपाल, उम्र–60 वर्ष, जाति–बैरवा, ग्राम वाटिका, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर (राज.)। .....वादीया

बनाम

1. चौथमल पुत्र ग्यारसा
2. भगवान पुत्र चौथ्या उर्फ चौथमल
3. किशोर पुत्र चौथ्या उर्फ चौथमल
4. गजानन्द पुत्र काल्या
5. फूल्या पुत्र सुवालाल

समस्त जाति–कुम्हार, निवासी–ग्राम वाटिका तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।

6. प्रभू बैरवा पुत्र मोहरू बैरवा, जाति–बैरवा, निवासी–ग्राम बोकडास, तहसील–चौकसू, हाल निवासी–ग्राम वाटिका, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।
7. सहायक अभियन्ता जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0, सांगानेर जिला जयपुर।
8. अधीक्षण अभियन्ता जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0, (ग्रामीण) आगरा रोड, जयपुर।
9. सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर जिला–जयपुर।

....प्रतिवादीगण

दावा–बेदखली(हटवाये जाने विद्युत लाईन एवं अवैध खाम निर्माण) एवं, स्थायी निषेधाज्ञा,

अन्तर्गत धारा 183, (सपठित धारा 183 बी), 188 R.T. Act 1955

श्रीमानजी,

वादीया की ओर से वाद–पत्र निम्न दीगर वजूहात पर प्रस्तुत है:–